<u>वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021–2022(01.04.2021–31.03.2022)के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन(Representation)</u>–

आदरणीय महोदय,

विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि प्रार्थी वर्तमान समय में सिविल जज (जू०डि०) पूर्वी,हरदोई के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी की वर्ष 2021–2022 वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि माननीय विद्वान जनपद न्यायाधीश महोदय श्री सुरेन्द्र सिंह–I द्वारा ई–सर्विसेज पोर्टल पर दिनांक 09.06.2022 को अंकित की गयी है। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा बिन्दुवार प्रत्यावेदन(Representation) प्रस्तुत किया जा रहा है जो निम्नवत है–

01.यह कि प्रार्थी द्वारा वर्ष 2021–2022 में दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 12.04.2021 तक सिविल जज (जू०डि०)एफ०टी०सी० हरदोई के पीठासीन अधिकारी के रूप में तथा दिनांक 13.04.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक सिविल जज (जू०डि०) पूर्वी,हरदोई के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य किया गया है व प्रार्थी वर्तमान समय में भी सिविल जज (जू०डि०) पूर्वी,हरदोई के पीठासीन अधिकारी के रूप में ही कार्यरत है।

02. यह कि माननीय विद्वान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021–2022 के कालम **01(f)**में उल्लेखित प्रश्न Whether Judgement on the facts and on law are on the whole sound,well–reasoned and expressed in good language ? के बाबत यह अंकित किया गया है कि – Marshalling of facts and application of law is good but **Apprecation of evidence is average**. इसके अतिरिक्त उक्त कालम से ही सम्बन्धित अन्य कालम **01(f)(ii)** में उल्लेखित तथ्य **Apprecation of evidence** के समक्ष भी **Average** अंकित किया गया है।

03.यह कि प्रार्थी द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021–2022 के बाबत **प्रकीर्ण आदेश संख्या 149 दिनांकित 14.03.2022** के अनुपालन में तीन दीवानी सविरोध निर्णय – **रमाकान्त बनाम काशीराम (मूलवाद संख्या 472/1999), गंगाराम बनाम कन्हैयालाल (मूलवाद संख्या 362/2000) व रामजीवन बनाम श्रीमती लक्ष्मी देवी (मूलवाद संख्या 435/1998),** Self assessment application 2021–2022 के अन्तर्गत आनलाइन संलग्न किये गये थे। उक्त **तीनों ही प्राचीनतम दीवानी वाद** प्रार्थी द्वारा समुचित Marshalling of facts, समुचित Application of law तथा समुचित Apprecation of evidence के पश्चात ही निर्णीत किये गये है,तथा माननीय विद्वान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा भी प्रार्थी के निर्णयों में **Marshalling of facts तथा Application of law के सम्बन्ध में Good** टिप्पणी अंकित की गयी है किन्तु माननीय विद्वान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उक्त निर्णयों मे से किसी निर्णय विशेष में Apprecation of evidence से सम्बन्धित किसी प्रकृति की किसी कमी का कोई उल्लेख न करते हुए वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021–2022 में Apprecation of evidence के Average होने सम्बन्धी टिप्पणी अंकित की गयी है। **(उपरोक्त सभी निर्णय Self assessment application 2021–2022 के अन्तर्गत ई–सर्विसेज जे०ओ० पोर्टल पर माननीय महोदय के सुलभ अवलोकन हेतु उपलब्ध है)**

04.यह कि माननीय विद्वान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा ही वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021–2022 के कालम **01(f)** में उल्लेखित प्रश्न के बाबत अंकित टिप्पणी में प्रार्थी के निर्णयों (Judgements) के well–reasoned , whole sound तथा good language में expressed होने के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी भी अंकित नहीं की गयी है। Judgements(निर्णयों) के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **<u>शंकुतला शुक्ला बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य ,दाण्डिक अपील संख्या 876/202,निर्णय तिथि –07.09.2021 AIR 2021 SC4384</u>,**में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि " **Writing judgements is an art, though it involves skillfull Application of law and logic** " यहां माननीय महोदय को सादर अवगत कराना है कि माननीय विद्वान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा ही वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में प्रार्थी के निर्णयों में Application of law को Good अंकित किया गया है । अतः माननीय महोदय को सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा निर्णीत उपरोक्त वाद न केवल well–reasoned, whole sound व expressed in good language है,अपितु समुचित Marshalling of facts के पश्चात व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के समुचित Apprecation of evidence के पश्चात तथा समुचित Application of law के पश्चात ही पारित किये गये है।

05.यह कि यदि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के कालम संख्या **01(f) व 01(f)(ii)** में Apprecation of evidence–Average की टिप्पणी बनी रही तो प्रार्थी के लिए अपूर्णनीय क्षति होगी।

Digitally signed by
Vinod Kumar Yadav
Date: 2022.07.03
11:05:18 IST
Reason: Document
Owner
Location: District and
Sessions Court

06. यह कि माननीय महोदय को सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा वर्ष 2021–2022 में **चार सौ से अधिक प्राचीन वादों का निस्तारण** किया गया जिसमें से **दस वर्ष से अधिक प्राचीनतम वादों की संख्या 190** से अधिक है तथा **पांच वर्ष से अधिक प्राचीनवादों की संख्या 250** से अधिक है। इस सम्बन्ध में विद्वान माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा भी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के कालम संख्या **01(e)(iii)** में प्रार्थी द्वारा निस्तारित प्राचीन वादों का वर्षानुवार(Yearwise) उल्लेख किया गया है । उक्त उल्लेख से यह भी अवगत होता है कि प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित Action plan के अन्तर्गत प्राचीनतम वादों का भी निस्तारण किया गया है।

07. यह कि माननीय विद्वान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के कालम संख्या **01(g)** में उल्लेखित प्रश्न Whether disposal of work is adequate के बाबत YES .Total outurn is 153.53 % की टिप्पणी अंकित की गयी है।

08.यह कि माननीय महोदय को सादर यह भी अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा वर्ष 2021–2022 में **12 निष्पादन वादों(Execution suits)** को भी निस्तारित किया गया है। जिसका उल्लेख माननीय विद्वान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021–2022 के कालम संख्या **01(e)(iv)** में किया गया है। इसके अतिरिक्त माननीय विद्वान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021–2022 के कालम संख्या **01(g)(i)** प्रार्थी द्वारा **पूर्ण सविरोध(Contested) निस्तारित चार दीवानी वादों** की संख्या का भी उल्लेख किया गया है।

09.यह कि माननीय विद्वान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021–2022 में प्रार्थी को न्यायालय कार्यावधि के दौरान Punctual पाया गया है। स्त्रियों के सम्बन्ध में भी प्रार्थी का व्यवहार अच्छा तथा जिला जज एवं वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह को मानने वाला माना गया है। यद्यपि प्रविष्टिदाता माननीय विद्वान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रार्थी को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में Overall assessment of the Merit of the officer: Good दिया गया है। प्रविष्टिदाता माननीय विद्वान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा वर्ष 2021–2022 में प्रार्थी को कार्य व आचरण के सम्बन्ध में कोई D.O. पत्र नही दिया गया है।

10.यह कि यदि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021–2022 में प्रार्थी के लिए Overall assessment of the Merit of the officer: Good की टिप्पणी बनी रही तो यह प्रार्थी के लिए अपूर्णनीय क्षति होगी।

प्रार्थना

अतः माननीय महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि प्रत्यावेदन(Representation) में उल्लेखित उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय विद्वान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021–2022 के कालम संख्या 01(f) व 01(f)(ii) में अंकित Apprecation of evidence–Average की टिप्पणी को हटाये जाने(Expunging) तथा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021–2022 में अंकित टिप्पणी Overall assessment –Good से उन्नयन(Upgrade) करने की कृपा करें ।

ससम्मान ।

आपका आज्ञाकारी

दिनांक–03.07.2022

विनोद कुमार यादव
सिविल जज (जू०डि०)पूर्वी
हरदोई।
ID NO.UP2564

Note–Self assessment application 2021–2022 , ई–सर्विसेज जे०ओ० पोर्टल पर उपलब्ध तथा अपलोड है।